

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

//आदेश//

क्रमांक/स्था.एक/न्या.प्रकरण /स्वा.साई-292 /605

दिनांक 14/8 /2024

माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 19472/2024 (डॉ. एस.एन. मूर्ति विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित निर्णय आदेश दिनांक 23/07/2024 के परिपालन में डॉ. एस.एन. मूर्ति, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, संचालनालय, उपकरण विनियोग केन्द्र, ज.ने. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर को सेवानिवृत्त दिनांक 30/06/2007 के पश्चातवर्ती माह अर्थात् 01/07/2007 को देय आगामी वेतन में काल्पनिक (Notionally) वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ प्रदान करने की स्वीकृति संबंधी प्रशासकीय आदेश एतद् द्वारा जारी किये जाते हैं। उक्त काल्पनिक वेतनवृद्धि मात्र पेन्शन के निर्धारण/पुनरीक्षण की गणना हेतु ही मान्य होगी।

2// उक्तादेश मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 8-1/2024/नियम/चार दिनांक 15/03/2024 अंतर्गत न्यायालयीन निर्णयों के आधार पर उद्भूत प्रकरणों में 30 जून/31 दिसंबर को सेवानिवृत्त के पश्चात् आगामी तिथि पर वेतनवृद्धि की स्वीकृति हेतु जारी दिशानिर्देशों के परिप्रेक्ष्य में संबंधित पदधारक हेतु व्यक्तिगत होकर अन्य प्रकरणों में पूर्वाधार नहीं माना जावेगा।

कुलपति जी के आदेशानुसार,

कुलसचिव

क्रमांक/स्था.एक/न्या.प्रकरण /स्वा.साई-292 /606

दिनांक 14/8 /2024

प्रतिलिपि:--

- 1) अधिष्ठाता कृषि/कृषि अभियांत्रिकी/ उद्यानिकी संकाय, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
- 2) संचालक समस्त.....।
- 3) लेखानियंत्रक, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4) अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, जबलपुर।
- 5) संचालक, उपकरण विनियोग केन्द्र, ज.ने. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर
- 6) डॉ. एस.एन. मूर्ति, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, संचालनालय, उपकरण विनियोग केन्द्र, ज.ने. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर
- 7) सहा. कुलसचिव विधि प्रकोष्ठ, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
- 8) निज सचिव कुलपति सचिवालय/कुलसचिव प्रकोष्ठ, ज.ने. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।

कुलसचिव
